

नियमावली

1. संस्था का नाम : जय श्री बालाजी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान

2. संस्था का पूरा पता : ग्राम - कारीकान धाता

पो० - धाता

तहसील - खागा, जिला - फतेहपुर



3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग -

संस्था की सदस्यता करने प्राप्ति करने के लिए

आवश्यक होगा कि संस्था में निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा कर दिया हो एवं संस्था के नियम में उसने संस्था के हित में ऐसा योगदान किया है कि उससे सदस्यता प्रदान कर दी जाय। संरक्षक सदस्यता उन्हीं लोगों को प्रदान की जायेगी जिनके हांसा इस संस्था की स्थापना की जा रही है। वह संरक्षक सदस्य कहलायेंगे। रुपये 1000/- का दान तथा 101/- रुपये प्रदान करने वाले सदस्य संस्था में आजीवन सदस्य होंगे तथा 51/- रुपये प्रदान करने वाले लोगों को साधारण सदस्यता प्राप्त होगी। जिसकी अधिक 3 वर्ष की होगी। सदस्यता की पुष्टि मंत्री के अनुमति के बाद ही होगी।

सत्य प्रतिलिपि


 जय श्री बालाजी ग्रामोद्योग
 सेवा संस्थान
 धाता-फतेहपुर

(4)



Scanned with OKEN Scanner

5. सदस्यता की समाप्ति :-

संस्था को कोई सदस्य मृत्यु, भागलपन, अनेतिक अपराध में दण्डित होने, दिवालियापन तथा शुल्क न आदा करने पर अपने आप सदस्यता खो देगा। इसके अतिरिक्त यदि कार्यकारिणी का कोई सदस्य कार्यकारिणी में इस आशव का प्रस्ताव लाता है कि कोई सदस्य कार्य समिति के हित के प्रतिकूल है तो कार्यकारिणी अपने साधारण बहुमत से उसे सदस्यता से मुक्त कर सकती है। इसकी पुष्टि मंत्री के अनुमति के बाद ही होगी।

6. संस्था के अंग :-

संस्था के दो अंग होंगे।

1. साधारण सभा

2. प्रबन्ध कारिणी समिति



7. साधारण सभा :-

संस्था की साधारण सभा एक स्थायी संस्था होगी।


साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर होगा।

बैठक सामान्य /विशेष :-

साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रत्येक 6 माह में एक बार आवश्य होगी और विशेष 24 घंटे की सूचना पर किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व देना आवश्यक है। सदस्यों को सूचना सूचना बुक पर हस्ताक्षर प्राप्त कर अथवा अण्डर पोस्टिंग स्टीफिकेट के द्वारा) किया जायेगा। विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

बैठक की गणपूर्ति 2/3 सदस्यों की उपस्थिति पर होगा। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक दोबारा होने पर गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।



गणपूर्ति :-

जी. श्री. बलजी ग्रामोदय
सेवा संस्थान, दिना-फतेहपुर

विशेष वार्षिक अधिवेशन साधारण सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन होगा की तिथि आदि :- जिसमें उस समय सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा।

साधारण सभा के कर्तव्य:-

साधारण सभा में संस्था के सभी अचल/चल सम्पत्ति निहित होगी। विना साधारण सभा को पूर्व स्वीकृति के प्रबन्धकारिणी समिति कोई भी कार्य नहीं कर सकती। चाहे वह वर्ष भर के लिए एक साथ गाइड लाइन के साथ कार्य करते हुए तथा निधन को स्वीकृत प्रदान कर सकती है।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :-

गठन :-

भीवन/घटन
प्रबन्धकारिणी समिति

सत्य प्रतिलिपि

साधारण सभा का वर्ष में एक बैठक होगी। आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

संस्था के प्रबन्ध कारिणी समिति को गठन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। प्रबन्ध कारिणी के 7 सदस्य का चुनाव संस्था के आजीवन सदस्यों में से तथा 4 सदस्यों का चुनाव साधारण सदस्यों में से करेंगे। कुल 11 सदस्यों की यह संस्था होगी। इसका चुनाव जहाँ तक सम्भव होगा गठन सर्व सम्मति से होगा। नहीं तो साधारण बहुमत द्वारा गोपनीय मतदान के अनुसार होगा। समिति के सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक मंत्री/प्रबंधक एवं 6 कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

सामान्य और विशेष :-

प्रबन्धकारिणी समिति के प्रत्येक माह में एक बैठक होगी। आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

*Jai Shri Balaji Gram Yog
Sewa Sansthan
Dhata-Fatehpur*

सूचना गतिधि :-

बैठक को सूचना सामग्र्य स्थिति में अण्डर गोस्टल सर्टीफिकेट द्वारा एक सप्ताह पूर्व आवश्यक होगी। विशेष परिस्थिति में सूचना किसी के माध्यम से 24 घंटे पूर्व दी जा सकती है।

गणपूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की गणपूर्ति 2/3 मान्य होगी।

स्विकृत स्थानों की पूर्ति:-
प्रबन्ध कारिणी में कार्ड भी रिकॉर्ड होने पर साधारण सभा से शेष काला कार्ड रिकॉर्ड स्थानों की पूर्ति कर ली जायेगी।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य:-

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्बंकमों की रूप-रेखा तैयार करना तथा उसे लागू करना।
4. संस्था की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
5. उप समितियों के उप नियमों को बनाना और उनके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।
7. संस्था के विकास हेतु प्रयास करना।

अग्रहण। प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यपालिका
पाला। जीवनपीढ़ी मैनेजर १५३५८५८
(7)

Manager
Jai Shri Balaji Gramodyog
Sewa Sansthan
Dhata-Fatehpur

जीवनपीढ़ी
प्रबन्धकारिणी समिति
१५३५८५८५८

सहाय्यक प्रबन्धकारिणी समिति
कार्यपालिका
पाला। जीवनपीढ़ी मैनेजर १५३५८५८

9. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अ - अध्यक्ष :-

1. सभी प्रकार की बैठकों को अध्यक्ष स्वीकार करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. समय-समय पर संस्था के कार्यों का निरीक्षण करना।
4. समान मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
6. मंत्री द्वारा अनुमोदन संस्था पेशों को स्वीकार करना।
7. संस्था के विकास का अपना व्याग्रानन देना।

ब - मंत्री/प्रबन्धक :-

1. सभी प्रकार की बैठकों को संचालित करना।
2. बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
3. वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित कराना।
5. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।

सत्य प्रतिलिपि

महाराष्ट्र ग्रामीण
सुलभ सेवा संस्था एवं विद्या
विज्ञान संस्थान

(8)

Manager
Jai Sri Balaji Gramayog
Sewa Sansthan
Dhata-Fatehpur



Scanned with OKEN Scanner

6. संस्था को ओर से समस्त वित्त एवं बाड़चर पर हस्ताक्षर करना।
7. संस्था को ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
8. संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
9. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चंदा, दान, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
10. प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय प्रदर्श आधिकारीय का प्रयोग करना।
11. आवश्यकतानुसार संस्था के हित में व्यय करना।
12. संस्था का समस्त विभाग एवं अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण संखालन। समस्त अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
13. संस्था के विकास हेतु समस्त विभागों एवं अन्य संस्थाओं से समर्क स्थापित करना।
14. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग के नियमानुसार संस्था संचालन, प्रबन्ध एवं प्रसार कार्य करना।

स - उपमंत्री / -उपाध्यक्ष /


1. मंत्री/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उपमंत्री कार्य करेगा।

र - उपाध्यक्ष : /

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा।

Manoj
Manager
Jai Shri Balaji Gramodyog
Sewa Sansthan
Dhata-Fatehpur

सत्य प्रतिलिपि



सहायक सचिव
समस्त जीवनीज एवं चिन्हात
इलाजकाल

ये कोपाध्यक्ष :-

1. संस्था के सम्पूर्ण कोश को कैश बुक में
इन्द्राज करना।
2. हस्ताक्षरित विलों का भुगतान करना।
3. बिल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
4. कोश सम्बन्ध सम्पूर्ण कार्य करना।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन,
साधारण सभा की बैठक में 3/5 (तीन बटा पाँच)
के बहुमत से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की
धारा 12 एवं 4 के अनुसार पवित्र करायेगा।

11. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष इसी भी रोधीयकृत बैंक में रखा
जायेगा, जिसका संचालन प्रबन्धक/मंत्री के हस्ताक्षर
द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी
रजिस्टर्ड चार्ड एकाउण्ट द्वारा कराया जायेगा। जो
वार्षिक होगा।

13. संस्था द्वारा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कोई भी अदालती
कार्यवाही संस्था के मंत्री/प्रबन्धक द्वारा होगा।

प्रतिक्रिया
प्रदूषण/प्रदूषक
नियन्त्रण

(10)

सत्य प्रतिलिपि

Jai shri Balaji Manager
Sewa Sansthan Gramodyog
Dhata-Fatehpur

14. संस्था के अधिलेख :

संस्था का सभी अधिलेख सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही एवं शुल्क पंजिका चेक बुक आदि एवं आवश्यक कागजात मंत्री/प्रमुख के पास रखे जायेंगे और वही जिम्मेदार होगा।

15. संस्था के सामूहिक एवं व्यक्तिगत विचार :

संस्था द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी करने का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्ध समिति के प्रत्येक सदस्य पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से होगा। यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक को ऋणदाता के ऋण की पूर्ण अदायगी न हो जाय। चाहे भले ही वह संस्था की सदस्यता से पृथक क्यों न हो गया हो। ऋण के विषय में आमानत हेतु संस्था की निजी अचल सम्पत्ति का सम्बद्ध बंधक होगा। यह संस्था के चास निजी अचल सम्पत्ति न होने की संस्था कोई सदस्य या पदाधिकारी अपनी अपनी सम्पत्ति का बंधक रख सकेगा।

16. संस्था का विघटन :

भैष्णन्ध
प्रह्लाद प्रयोग
अ.प्र.
१०८३

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
जी श्री बालाजी ग्रामोदयोग
सेवा सांस्थान धाता-फतेहपुर

साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत से संस्था का विघटन किया जा सकता है। और सम्पत्ति के निस्तारण संस्था के सभी दायित्वों के पूर्ण करने के पश्चात अवशेष धन को समान्य डद्देश्यों की संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट को धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(11)

सत्य प्रतिलिपि,

२७-७-०२
Shri Balaji Gramodyog
Manager
Jai shri Balaji Gramodyog
Sewa Saithan
Dhata-Fatehpur